

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

दिनांक: 11.11.2025

नोटिस

विषय: एमसीसी द्वारा आयोजित नीट पीजी एआईक्यू 2025 काउंसलिंग के माध्यम से एनबीईएमएस सीटें आवंटित उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग स्थिति को अपडेट करने के लिए अस्पतालों के लिए सलाह और निर्देश - के संबंध में।

कृपया ध्यान दें: एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त अस्पताल।

2025 सत्र के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों के लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत योग्यता-आधारित काउंसिलंग की अधिसूचना चिकित्सा परामर्श समिति (MCC), DGHS (MoHFW) द्वारा जारी कर दी गई है। सभी NBEMS मान्यता प्राप्त अस्पतालों को सलाह दी जाती है कि वे https://mcc.nic.in/ पर MCC द्वारा प्रकाशित काउंसिलंग कार्यक्रम, सूचना बुलेटिन, काउंसिलंग योजना और अन्य सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें।

उम्मीदवार की रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग के समय दस्तावेज सत्यापनः सभी एनबीईएमएस-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को जॉइनिंग/रिपोर्टिंग के समय निर्धारित मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन करना आवश्यक है। अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित सीट पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाए, जैसा कि सूचना बुलेटिन में विस्तृत है। उम्मीदवार का चिकित्सा परीक्षण संबंधित एनबीईएमएस-मान्यता प्राप्त अस्पतालों के मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। केवल चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए गए उम्मीदवारों को ही पाठ्यक्रम में रिपोर्ट/ज्वाइन करने की अनुमित दी जाएगी।

वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क का सत्यापन: एनबीईएमएस सीटों पर रिपोर्टिग/ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एनबीईएमएस के समर्पित पोर्टल के माध्यम से एनबीईएमएस को प्रथम वर्ष का वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना अनिवार्य है। पोर्टल का लिंक यह है:

https://cns.natboard.edu.in/CandRv1/seatMatrix/index.php

अस्पतालों को उम्मीदवार को रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग की अनुमित देने से पहले, उसके द्वारा प्रस्तुत शुल्क रसीद की पुष्टि करनी होगी। शुल्क जमा न करने की स्थिति में, आवंटित सीट रिक्त मानी जाएगी और काउंसिलंग के अगले दौर में आगे बढ़ा दी जाएगी। रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग की स्थिति को इंट्रा-एमसीसी पोर्टल पर तदनुसार अपडेट किया जाना चाहिए। अस्पताल ध्यान दें कि एमसीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कृपया निर्धारित समय-सीमा में छूट के लिए एनबीईएमएस को सूचित न करें।

इंट्रा-एमसीसी पोर्टल: सभी एनबीईएमएस-मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए एमसीसी द्वारा निर्धारित समय के भीतर इंट्रा-एमसीसी पोर्टल पर उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग स्थिति अपडेट करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर सीट अगले राउंड में ले जाई जाएगी। संस्थानों को अतिरिक्त आवंटन से बचने के लिए प्रत्येक राउंड से पहले अपनी सीट स्थिति की समीक्षा भी करनी होगी।

एनबीईएमएस ऑनलाइन पोर्टल फॉर जॉइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन (ओपीजेआर) अस्पतालों के लिए काउंसिलंग के सभी दौर पूरे होने तक निष्क्रिय रहेगा। यह पोर्टल उम्मीदवारों और अस्पतालों के लिए है तािक वे काउंसिलंग के सभी दौर पूरे होने के बाद एनबीईएमएस को अपनी जॉइनिंग स्थित और दस्तावेज़ जमा कर सकें। अस्पताल सभी दौर पूरे होने के बाद ही ओपीजेआर प्रयोग कर पाएंगे। एनबीईएमएस को उम्मीदवारों की अंतिम रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग सूचना काउंसिलंग के सभी दौर पूरे होने के बाद ओपीजेआर के माध्यम से दी जानी है।

एनबीईएमएस प्रशिक्षण की आरंभ तिथि: उम्मीदवारों को एमसीसी द्वारा प्रकाशित संबंधित काउंसिलंग राउंड की रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग विंडो के भीतर अपने एनबीईएमएस प्रशिक्षण में रिपोर्ट/ज्वाइन करना होगा। रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग की तिथि में कोई विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा। जिन उम्मीदवारों का प्रशिक्षण अपग्रेड हो जाता है, उनके लिए प्रशिक्षण अवधि अपग्रेड की गई सीट पर रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग की तिथि से मानी जाएगी। यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो प्रशिक्षण की गणना पीजी प्रशिक्षण शुरू होने की तिथि से की जाएगी, अर्थात उम्मीदवार द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभालने की तिथि से।

सेवारत डॉक्टर: जो अभ्यर्थी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/रेलवे/पीएसयू/ईएसआई या किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीईएमएस पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय उनके पास अपने मूल संगठन से अध्ययन अवकाश सहित अनापित प्रमाण पत्र हो।

काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया एमसीसी से <u>https://mcc.nic.in/</u> पर संपर्क करें।

वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान/वापसी से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया एनबीईएमएस से इसके संचार वेब पोर्टल के माध्यम से संपर्क करें:

https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main.



एनबीईएमएस



NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES NEW DELHI

Dated:11.11.2025

NOTICE

Subject: Advisory & Instructions for Hospitals to Update Reporting/Joining Status of Candidates Allotted NBEMS Seats through NEET PG AIQ 2025 Counselling Conducted by MCC - reg.

Kind attention: NBEMS Accredited Hospitals.

The Online Centralized Merit-Based Counselling for All India Quota (AIQ) seats for the 2025 session has been notified by the Medical Counselling Committee (MCC), DGHS (MoHFW). All the NBEMS accredited hospitals are advised to carefully go through the counselling schedule, information bulletin, counselling scheme, and other notices published by MCC at https://mcc.nic.in/ and comply accordingly.

Document Verification at the time of reporting/joining of the candidate: All NBEMS-accredited hospitals are required to verify the prescribed original documents at the time of joining/reporting. Hospitals must ensure the fulfilment of eligibility criteria by the candidate for admission to the allotted seat, as detailed in the information bulletin. The medical examination of the candidate shall be conducted by the Medical Board of the concerned NBEMS-accredited hospitals. Only those candidates found medically fit shall be allowed to report/join the course.

<u>Verification of Annual Course Fee:</u> It is mandatory for candidates reporting/joining NBEMS seats to pay the 1st-year annual course fee to NBEMS through the dedicated portal of NBEMS. The link for the portal is:

https://cns.natboard.edu.in/CandRv1/seatMatrix/index.php

The hospitals must verify the fee receipt produced by the candidate before permitting reporting/joining of the candidate. In case of non-submission of the fee, the allotted seat shall be treated as vacant and carried forward to the next round of counselling. The reporting/joining status must be updated accordingly on the Intra-MCC portal. The hospitals may note that the timelines prescribed by MCC have to be strictly adhered to. Please do not communicate NBEMS for relaxation in the prescribed timelines.

<u>Intra-MCC Portal:</u> It is mandatory for all NBEMS-accredited hospitals to update the reporting/joining status of candidates on the Intra-MCC portal within the stipulated time prescribed by MCC. Failure to do so will result in the seat being carried forward to the next round. Institutes must also review their seat positions before each round to avoid excess allotment.

The NBEMS Online Portal for Joining and Registration (OPJR) shall remain INACTIVE for hospitals until all rounds of counselling are concluded. This portal is meant for the candidates and the hospitals to submit their joining status and documents to NBEMS after all rounds of the counselling are over. Hospitals will gain access to OPJR only after completion of all rounds. The final reporting/joining intimation of candidates to NBEMS shall be furnished through the OPJR after completion of all rounds of counseling.

<u>Start Date of NBEMS Training:</u> Candidates must report/join their NBEMS training within the reporting/joining window of the respective counselling round as published by MCC. No extension in the date of reporting/joining shall be permitted. For candidates who get upgraded, the training period will be considered from the date of reporting/joining the upgraded seat. If the seat is not upgraded, the training will be counted from the date of start of PG training i.e. the candidate starts his/her duties as a resident doctor.

<u>Inservice doctors:</u> Candidates who are employed with central govt./state govt./ railways/PSU/ESI or any other govt. organization should ensure that they have no-objection certificate including study leave from their parent organization at the time of joining the NBEMS course.

For further clarification regarding the counselling process, please contact MCC at https://mcc.nic.in/.

For queries regarding payment/refund of annual course fee, please contact NBEMS through its Communication Web Portal:

https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main.



NBEMS